न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-99/2017/टोंक (2017/00117)

1. रामनिवास पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बमोर, तहसील व जिला टोंक ।
2. सोहन पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बमोर, तह0 व जिला टोंक ।
3. लक्ष्मी पुत्री गंगल्या उर्फ गंगाराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बमोर, तह0 व जिला टोंक ।
4. छोटी पत्नि पत्नि गंगल्या उर्फ गंगाराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बमोर, तह0 व जिला टोंक ।
5. मीरा पत्नि स्व0 नाथू, जाति बैरवा, नि0 ग्राम बमोर, तहसील व जिला टोंक ।
6. आरती पुत्री स्व0 नाथू, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता मीरा पत्नि नाथू, जाति बैरवा, नि0 ग्राम बमोर, तह0 व जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. केसरलाल पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बमोर, तहसील व जिला टोंक ।
2. जगदीश पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बमोर, तहसील व जिला टोंक ।
3. नेहनूलाल पुत्र स्व0 श्रीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बमोर, तह0 व जिला टोंक ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत, बमोर पंचायत समिति टोंक ।
5. तहसीलदार, टोंक जिला टोंक ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 31.8.2016 अंतर्गत अपील संख्या 2/2016 .

उपस्थितः-

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.

निर्णय

दिनांक :– 14.6.2018

अपीलांटस ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.8.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के विरूद्ध इस आशय की अपील पेश की गई कि आराजी खसरा नंबर 802 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 949 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा वाकै ग्राम बमोर, तहसील व जिला टोंक में स्थित है, जिसके साबिक खसरा नंबर 651/1/1/1 थे । उक्त आराजियात पर रेस्पोडेंटस अपने पूर्वज बाबा भूरा के जमाने से काबिज खातेदार काश्तकार थे जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2034-37 में जरिये नामांतकरण संख्या 344 रेस्पो0 के पिता श्रीलाल पुत्र भूरा के नाम नामांतकरण स्वीकार हुआ किन्तु ग्राम पंचायत, बमोर ने रेस्पो0 को सूचना दिये बिना नामांतकरण संख्या 344 को दिनांक 30.1.1981 को अस्वीकार कर खातेदारी पूर्वत् गंगल्या व नानू पि0 गणेश बैरवा के नाम बरकरार रखने के आदेश पारित किये । ग्राम पंचायत बमोर द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध है । अतः अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत बमोर का आदेश दिनांक 30.1.1981 अपास्त किया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की अपील को निर्णय दिनांक 31.8.2016 को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नामांतकरण संख्या 344 दिनांक 30.1.1981के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष अपील दिनांक 22.2.2016 को लगभग 35 वर्षो बाद पेश की गई है । रेस्पो0 ने विलंब के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य व सबूत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इतने भारी विलंब को सरसरी तौर पर क्षम्य करने में विधिक त्रुटि कारित

की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि जमाबंदी संवत् 2034—37 में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता श्रीलाल के नाम नामांतकरण स्वीकार हुआ है । इस संबंध में अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत् 2034—37 प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त जमाबंदी में नामांतकरण अस्वीकार करने का अंकन किया हुआ है । इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 के पिता श्रीलाल के पक्ष में कभी भी नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया गया था जबकि वास्तविकता यह है कि सन् 1981 में प्रथम बार नामांतकरण कोरम के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो नामांतकरण धारा 42 राज0टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विरूद्ध होने से अस्वीकार कर दिया जो कानूनी रूप से वैध है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में रेस्पो0 के पिता श्रीलाल के हक में न्यायालय की डिक्री होना भी माना है, जबकि श्रीलाल के हक में इस प्रकार की कोई राजीनामे की डिक्री नहीं है क्योंकि अपीलांटस या उनके पूर्वजों को इस प्रकार के दावे की कभी कोई जानकारी नहीं रही है और ना ही उनके द्वारा कभी कोई राजीनामा ही प्रस्तुत किया गया है । रेस्पो0 द्वारा की गई समस्त कार्यवाही फर्जी है । अपीलांटस द्वारा तथाकथित निर्णय व डिक्री की नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रिकॉर्ड रूम द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं होना अंकित किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष तथाकथित डिक्री के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वे संदेहास्पद है क्योंकि इस प्रकरण में सी0पी0सी0 में विहित प्रारूप में कोई डिक्री नहीं बनाई गई है बल्कि रेस्पो0 द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वह केवल आदेशिका है । किसी भी डिक्री की पालना की नियत अवधि 12 वर्ष होती है, यदि डिक्री की पालना नियत अवधि में नहीं की गई हो तो 12 वर्ष बाद वह डिक्री स्वतः ही प्रभावशून्य हो जाती है । अपीलांटस वर्तमान में विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 31.8.2016 अपास्त किया जावे । xx

4- जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 802 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नंबर 949 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा, जिसके साबिक खसरा नंबर 651/1/1/1 थे, पर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 344 रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता श्रीलाल के नाम जमाबंदी संवत् 2034—37 में स्वीकृत हुआ था । ग्राम पंचायत, बमोर ने नामांतकरण संख्या 344 को रेस्पो0 को बिना सूचना दिये एवं बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा में अपास्त किया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया

कि विवादित आराजियात बाबत् रेस्पो0 के पिता श्रीलाल के पक्ष में दावा संख्या 103/72 डिक्री हुआ था जिसे भी अपीलांटस द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने मियाद के बिन्दू पर कथन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विलंब के समुचित कारण अंकित किये थे इसीलिये अधी0न्याया0 ने विलंब क्षम्य कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया है । अपीलांटस द्वारा मियाद के बिन्दू को अपील न्यायालय के समक्ष पुनः उठाया जाना विधिसम्मत् नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से ग्राम पंचायत, बमोर का निर्णय दिनांक 30.1.1981 अपास्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलांटस जो ऐतराज न्यायालय हाजा के समक्ष उठा रहे है वही ऐतराज वे अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है । ग्राम पंचायत, बमोर द्वारा की गई कार्यवाही नियम विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की बहस पर मनन किया । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में नामांतकरण संख्या 344 पर पर ग्राम पंचायत, बमोर, तहसील टोंक द्वारा अंकित नोट " कि नामांतकरण कोरम के समक्ष पेश हुआ, नामांतकरण अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति को स्थानातंरण होने के कारण अस्वीकार है ।" के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की अपील निर्णय दिनांक 31.8.2016 द्वारा स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 344 दिनांक 30.1.1981 को स्थगित करते हुए प्रकरण तहसीलदार, टोंक को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के पक्षकारों में भूमि का अंतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देश एवं अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पुनः पक्षकारों की सुनवाई करें तथा साक्ष्य प्राप्त कर, तत्पश्चात् पुनः विधि सम्मत प्रक्रिया से नामांतकरण तस्दीक कर, पालना से अवगत करावे । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नामांतकरण पंजिका की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया जिसमें यह नोट अंकित है कि " आज नामांतकरण पेश हुआ । खाता नंबर 5 के खातेदारों ने अपने खाते में से खसरा नंबर 1237/414 खाता नंबर 22 में वर्णित का बैचान जरिये रजिस्ट्री कर कब्जाा दे दिया है । अतः नामांतकरण स्वीकार किया जाता है । तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, बमोर ने नामांतकरण पंजिका में नामांतकरण संख्या 344 दिनांक 30.1.1981 को अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति को स्थानातंरण होने का नोट अंकित करते हुए तथाकथित नामांतकरण संख्या 344 को खारिज किया है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि ग्राम पंचायत को स्वंय द्वारा संस्थित नामांतकरण को अपास्त करने का अधिकार नहीं था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में चला था जो राजीनामा के

आधार पर दिनांक 1.2.1973 को डिक्री किया गया है । उक्त राजीनामें में वादी अमरा जाति बैरवा ने यह स्वीकार किया है कि आराजी खसरा संख्या 651/1/1/1 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम बमोर, तहसील टोंक हमेशा से प्रतिवादीगण श्रीलाल, जगदीश व केसरा के कब्जे काश्त में है । आराजी का दाखिल खारिज वादी और गंगल्या व नेनू के नाम जो तीनों मिलकर प्रतिवादी नंबर 1 के नाम करवा देगें । वादी व गंगल्या ने प्रतिवादी संख्या 1 को इस बाबत् एक इकरार नामा भी लिखकर रजिस्ट्री करवा दिया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि भूमि का अंतरण न्यायालय की डिक्री से होना स्पष्ट है जिससे नामांतकरण संख्या 344 की अस्वीकारोक्ति पर संदेह उत्पन्न होता है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि ग्राम पंचायत को स्वंय के द्वारा तस्दीक नामांतकरण को पुनः निर्णित करने का अधिकार नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 344 को अस्वीकार करते समय रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकतरफा में आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने नामांतकरण को स्थगित कर प्रकरण तहसीलदार, टोंक को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये है कि अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के पक्षकारों में भूमि का अंतरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देश एवं अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पुनः पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण तहसीलदार, टोंक को प्रतिप्रेषित किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय में हम आंशिक संशोधन कर तहसीलदार, टोंक को यह निर्देश देना भी उचित समझते है कि विवादित भूमि का अनूसचित जाति से स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय के संबंध में जांच में धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लघंन पाये जाने पर प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही करे अन्यथा नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही करे । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 31.8.2016 संशोधन योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, टोंक को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 99/2017 (2017/00117) बउनवानी रामनिवास बनाम केसरलाल व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 2/2016 बउनवान केसरलाल बनाम रामनिवास में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, टोंक को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादित भूमि अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के पक्षकारों में भूमि के

अंतरण के संबंध में जांच करे, यदि धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लघंन पाये जावे तो प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही करे अन्यथा नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 14.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर